



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

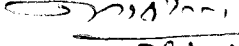
क्रमांक- परीक्षा 5-अ/विधि/2015/ 419

दिनांक: 29.4.2015

“ऑनलाईन परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ाने संबंधी विज्ञप्ति”

कुलपति महोदय के निर्देशानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त विधि महाविद्यालय एवं विभागों में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं के LL.B.-I, II, III & P.G. Diploma in Labour Law, Taxation, Criminology, Environmental Law सहित के नियमित, पूर्वछात्र एवं बकाया प्रश्न पत्र परीक्षा, 2015 के परीक्षा फार्म ऑनलाईन वेबसाइट **www.univexam.co.in** से रुपये 100/- विलम्ब शुल्क सहित फार्म भरने की अन्तिम तिथि 01.05.2015 से 05.05.2015 तक यथा पूर्व शर्तों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार बढ़ाई जाती हैं। परीक्षा आवेदन सम्बन्धी जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नं. 18002000297 तथा मो. नं. 8503087986 पर सम्पर्क करें।

साथ ही बी.ए.एल.एल.बी. (सेमेस्टर्स) की परीक्षा आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि 30.04.2015 के स्थान पर दिनांक 05.05.2015 तक बढ़ाई जाती हैं।


29/4/15
परीक्षा नियंत्रक



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक- परीक्षा 5-अ/विधि/2015/ 419

दिनांक: 29.4.2015

"ऑनलाईन परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ाने संबंधी विज्ञापित"

कुलपति महोदय के निर्देशानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त विधि महाविद्यालय एवं विभागों में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं के LL.B.-I, II, III & P.G. Diploma in Labour Law, Taxation, Criminology, Environmental Law सहित के नियमित, पूर्वछात्र एवं बकाया प्रश्न पत्र परीक्षा, 2015 के परीक्षा फार्म ऑनलाईन वेबसाइट www.univexam.co.in से रुपये 100/- विलम्ब शुल्क सहित फार्म भरने की अन्तिम तिथि 01.05.2015 से 05.05.2015 तक यथा पूर्व शर्तों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार बढ़ाई जाती हैं। परीक्षा आवेदन सम्बन्धी जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाईन नं. 18002000297 तथा मो. नं. 8503087986 पर सम्पर्क करें।

साथ ही बी.ए.एल.एल.बी. (सेमेस्टर्स) की परीक्षा आवेदन फार्म भरने की अन्तिम तिथि 30.04.2015 के स्थान पर दिनांक 05.05.2015 तक बढ़ाई जाती हैं।

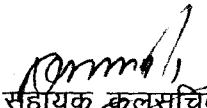
29/4/15
परीक्षा नियंत्रक
दिनांक: 29.4.2015

क्रमांक- परीक्षा 5-अ/विधि/2015/ 420-49

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. (i) समस्त प्राचार्य, संघटक/ सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षार्थी ने हार्ड कॉपी की दोनों प्रतियों पर ई-मित्र का टोकन नं. अंकित कर दिया है एवं परीक्षा शुल्क रसीद की मूल प्रति संलग्न कर दी है। निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण दिशा निर्देश में अंकित है जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। कृपया पत्र व्यवहार में परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय कोड़ आवश्यक रूप से अंकित करें।
- (ii) सम्बन्धित महाविद्यालयों से आग्रह है कि संकलित परीक्षा फार्म मय ई-मित्र पर जमा शुल्क की प्रति, टोकन नं., कक्षा एवं सूची सहित संलग्न कर अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में दिनांक 07.05.2015 तक आवश्यक रूप से जमा करा दें।
- (iii) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है यह सुनिश्चित कर लें।
- (iv) सम्बन्धित महाविद्यालय, परीक्षा आवेदन-पत्र अग्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उस कक्षा की पात्रता पूर्ण करता है तथा उसके परीक्षा आवेदन-पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही भरी जा चुकी हैं। यदि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की प्रविष्टि जैसे -परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पूर्व में उतीर्ण किए गये अनिवार्य विषयों के नाम, प्राप्त अंकों का विवरण, पूर्व की परीक्षा के अनुक्रमांक अथवा परीक्षार्थी के नामांकन आदि नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करवाने के पश्चात् ही परीक्षा आवेदन-पत्र निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर जमा करें। ई-मित्र के द्वारा देय रसीद की फोटो प्रति के पीछे जमाकर्ता के हस्ताक्षर एवं महाविद्यालय की मोहर अंकित कर परीक्षार्थी को रसीद के रूप में प्रदान करें, छात्र इस रसीद को सबूत के तौर पर सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि आवेदन-पत्र की कम्प्यूटर प्रति ऊपर रहे तथा उसके नीचे कार्यालय प्रति मय आवश्यक अंकतालिकाएँ आदि संलग्न हो। उपरोक्त कारणों से परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त होने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय ही जिम्मेवार होगा।

- (v) समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध एवं संघटक महाविद्यालय अपने महाविद्यालय के स्थायी दूरभाष, मोबाईल नं., ई-मेल आईडी एवं फेक्स नं., महाविद्यालय कोड लिखित में विश्वविद्यालय को भेजे।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर/छात्र परामर्श केंद्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति तथा दिशा निर्देश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तुरन्त प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
 3. प्रशासनिक सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
 4. अतिरिक्त कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
 5. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी परीक्षा संचालन व गोपनीय अनुभाग/शैक्षणिक -द्वितीय/ सेलर । व ।।, परीक्षा विविध, रिकार्ड शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
 6. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर) में विज्ञप्ति को एक बार प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
 7. निजी सचिव, कुलसचिव/निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
 8. संयुक्त निदेशक, आई.टी. कम्यूनिकेशन विभाग, राजस्थान सरकार, योजना भवन सी-स्कीम, जयपुर को सूचित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति अनुसार छात्रों के परीक्षा आवेदन फार्म की फीस जमा करने का श्रम करावें।
 9. मैसर्स, हाईटेक स्कैन ग्राफिक्स प्राइवेट, लिमिटेड, नई दिल्ली।


 सहायक कुलसचिव
 (परीक्षा-81अ)


 29/4/15